(राजस्थान सरकार)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, बुहाना जिला झुंझुनूं

पीठासीन अधिकारीः– सुमन देवी II, आर.ए.एस.

राजस्व वाद सं.– 153 / 2022 जीसीएमएस नम्बर :– 2024 / 454

1. फूलादेवी पत्नि दयानन्द उर्फ दयाराम
2. धर्मेन्द्र कुमार
3. महेश कुमार
4. सुरेन्द्र सिंह

} पुत्रान दयानन्द उर्फ दयाराम

5. सुनिता
6. सुरेश देवी

} पुत्रीयां दयानन्द उर्फ दयाराम

समस्त जाति मेघवाल निवासी कुहाडवास तहसील बुहाना जिला झुन्झुनू राज.

......................वादीगण

– बनाम –

1. लैण्ड होल्डर / भू–अभिलेख तहसीलदार बुहाना जिला झुन्झुनू राज.

......................प्रतिवादी

दावा बाबत :– घोषणात्मक रिकॉर्ड दुरूस्ति

अन्तर्गत धारा– 88 राज. काश्तकारी. अधि. एंव धारा–136 भू.राजस्व अधि.

दिनांकः–2/6/2025

–:निर्णयः–

(1). वादी का वादपत्र रहा किः–

1. यह कि वाके ग्राम कुहाडवास तात्कालीन तहसील खेतडी जिला झुन्झुनू राज. स्थित भूमि गत खसरा संख्या 14 रकबा 21 बीघा 15 विश्वा का खातेदार काश्तकार चिमना पुत्र ईसर जाति महाजन निवासी कुहाडवास था। चिमना पुत्र ईसर ने दिनांक 07.04.1972 को खसरा संख्या 14 रकबा 21 बीघा 15 विश्वा में से 8 बीघा 10 बिश्वा भूमि वादीगण के हकपूर्वाधिकारी सजनसिंह, दयानन्द पुत्रान चन्द्राराम को जरिए पंजीकृत [illegible] के प्रतिफल राशी के बदले बेचान कर दी तथा कब्जा वादीगण [illegible] करवा दिया था, जो अपने खाता विभाजन तक संयुक्त रूप से काबिज काश्त रहे [illegible] पर वादीगण काबिज कास्त है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Devi
Date: 2025.07.02 12:17:59 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी बुहाना
जिला झुन्झुनूं (राज.)

2. यह कि पंजिकृत विक्रय पत्र दिनांक 07.04.1972 में वादीगण के हकपूर्वाधिकारी का सही नाम दयानन्द पुत्र चन्द्राराम दर्ज किया गया, लेकिन विक्रय पत्र के आधार पर राजस्व कर्मचारीयों ने जमाबंदी में वादीगण के हकपूर्वाधिकारी दयानन्द के नाम खातेदारी दर्ज की तो सहवन से अथवा लापरवाही से दयानन्द के नाम के स्थान पर दयाराम नाम दर्ज कर दिया, जबकि वादीगण के हकपूर्वाधिकारी का नाम उनके समस्त दस्तावेजात राशन कार्ड, आधार कार्ड आदि में दयानन्द है। दयानन्द को ही गांव में दयाराम भी कहते थे।

3. यह कि बंदाबरस्त विभाग ने वादीगण के हकपूर्वाधिकारी द्वारा खरीद की गई भूमि गत ख.सं. 14 से नये ख.नम्बर 389, 391, 398 व 399 निर्मित किये हैं। ख.नं. 391, 398 व 399 किता 3 रकबा 2.21 है. की खातेदारी वादीगण के हकपूर्वाधिकारी सजनसिंह व दयानन्द को प्राप्त हुई। सजनसिंह व दयानन्द उर्फ दयाराम के मध्य खाता विभाजन हुआ तो पैतृक भूमि विभाजन में सजन सिंह को प्राप्त हुई तथा उक्त खरीद शूदा भूमि ख.न. 391, 398 व 399 किता 3 रकबा 2.21 है. वादीगण के हकपूर्वाधिकारी दयानन्द उर्फ दयाराम को प्राप्त हुआ है। दिनाक 21.08.2021 को वादीगण के हकपूर्वाधिकारी दयानन्द उर्फ दयाराम की मृत्यु हो गई है जिसके बाद उक्त भूमि की खातेदारी वादीगण के नाम दर्ज हो गई तथा वादीगण के हकपूर्वाधिकारी का नाम दयाराम दर्ज कर दिया गया है, जबकि अन्य दस्तावेज में सही नाम दयानन्द दर्ज है इस लिए वादीगण की खातेदारी भूमि में उनके हकपूर्वाधिकारी का सही नाम दयानन्द दर्ज किया जा कर रिकॉर्ड दुरूस्त किया जाने योग्य है।

4. यह कि ग्राम कुहाडवास स्थित भूमि हाल ख.सं. 394, 395, 401 व 906/398 किता 4 रकबा 4.45 है. में से वादीगण के हकपूर्वाधिकारी दयानन्द उर्फ दयाराम ने खातेदार खेमाराम पुत्र कालूराम जाति जाट के 1/6 हिस्सा की भूमि खरीद कर जरिए नामान्तरकरण सं. 377 के खातेदारी दर्ज राजस्व रिकॉर्ड हुई है। सहवन से उक्त भूमि की खातेदारी में भी वादीगण के हकपूर्वाधिकारी का नाम दयाराम दर्ज हो गया है तथा उसकी मृत्यु के बाद उक्त भूमि की खातेदारी वादीगण के नाम दर्ज हो गई तथा वादीगण के हकपूर्वाधिकारी का नाम दयाराम दर्ज कर दिया गया है, जबकि अन्य दस्तावेज में सही नाम दयानन्द दर्ज है इस लिए वादीगण की खातेदारी भूमि में उनके हकपूर्वाधिकारी का सही नाम दयानन्द दर्ज किया जा कर रिकॉर्ड दुरूस्त किया जाने योग्य है।

5. यह कि यादीगण मौके पर काबिज काश्त होने से कभी राजस्व रिकॉर्ड की आवश्यकता नहीं हुई जिस कारण वादीगण को उनके हकपूर्वाधिकारी का नाम राजस्व रिकॉर्ड में गलत दर्ज होने कि जानकारी भी वादीगण नहीं हुई अब यादीगण ने अपने–अपने हिस्सा का विभाजन करवाने के लिए राजस्व रिकॉर्ड की नकल ली तो गलत राजस्व रिकॉर्ड की जानकारी वादीगण हो हुई है। खाता विभाजन हेतू वादीगण अलग से कार्यवाही करेंगे।

6. यह कि दावा के लिए आधार विवाद, याद वर्णित भूमि खसरा सं. 391, 398 व 399 किता 3 रकबा 2.21 है. सम्पूर्ण एंव ख.सं. 394, 395, 401 व 906/398 किता 4 रकबा 4.45 है. में से 1/6 हिस्सा की खातेदारी में वादीगण के हकपूर्वाधिकारी का नाम राजस्व रिकॉर्ड में गलत दर्ज होने से वादीगण द्वारा अपनी भूमि पर सुधार कार्य, [illegible] करने से, सीमाए कायम रखने तथा सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिलने से पैदा हुआ है। इस

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Devi
Date: 2025.07.02 12:17:59 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी बुहाना
जिला झुन्झुनूं (राज.)

लिए वादीगण अपने खातेदारी अधिकारों की रक्षा करने एवं राजस्व रिकॉर्ड दुरूस्त करवाने के अधिकारी है। अतः वाद पत्र अन्दर मियाद सेवामें पेश है।

7. यह कि वादीगण के हकपूर्वाधिकारी का नाम राजस्व रिकॉर्ड में गलत दर्ज होने से भूमि पर सुधार कार्य करने हेतु ऋण आदि लेने में, सीमाएं कायम रखने में वादीगण को भारी परेशानी है जिससे वादीगण को अपूर्णीय क्षतिकारित हो रही है जिसका मुद्रा में मुल्यांकन नहीं किया जा सकता। इसलिए वादीगण द्वारा यह वाद पत्र पेश किया जाना आवश्यक हुआ है।

8. यह कि वाद वर्णित भूमी ग्राम कुठाडयास तहसील बुहाना में स्थित है जिसके बाबत यह वाद सुनवाई का क्षेत्राधिकार न्यायालय श्रीमानजी को प्राप्त है।

9. यह कि दावा घोषणात्मक के लिए 1/–रू. तथा रिकॉर्ड दुरूस्ति के लिए 1/–रू. कोर्ट फीस नियत है अतः दावा कुल 2/–रू. कोर्ट फीस पर न्यायालय श्रीमान जी की सेवामें पेश है।

10. यह कि वादीगण ने विवादीत भूमि का अपडेटेड रिकॉर्ड दावा के साथ पेश किया है इसके बाद वादीगण ने कोई रहन बेचान या गिरवी नहीं किया है समर्थन में वादी का शपथ पत्र पेश है।

वादी द्वारा अनुतोष चाहा गया कि–

क). कि वाके ग्राम कुठाडयास स्थित भूमि हाल खसरा सं. 391, 398 व 399 किता 3 रकबा 2.21 है. सम्पूर्ण एंव ख.सं. 394, 395, 401 व 906/398 किता 4 रकबा 4.45 है. में से 1/6 हिस्सा की खातेदारी में वादीगण के हकपूर्वाधिकारी का नाम **'दयाराम'** के स्थान पर **'दयानन्द'** घोषित कर राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज कर राजस्व रिकॉर्ड दुरूस्त किया जाने का आदेश दिये जाने की कृपा करें।

ख). कि वाद वादीयागण विरूद्ध प्रतिवादी डिक्री कर अन्य कोई अनुतोष जो सहवन से आयाचित रह गया हो एंव वादीयागण जिसके वाजिब हकदार हों वादीगण को दिलवाऐ जाने की कृपा करें।

दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण की तलबी की गई। अप्रार्थी सं. 1 राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बुहाना तहसील बुहाना जिला झुंझुनूं राज0 होने से आवश्यक पक्षकार बनाया गया है एवं तहसीलदार बुहाना से 136 एल आर एक्ट में विस्तृत तथ्यात्मक जांच रिपोर्ट इस कार्यालय के पत्रांक 222 दिनांक 21.06.2024 के द्वारा भिजवाई गई। तहसीलदार बुहाना के पत्रांक 688 दिनांक 03.03.2025 के द्वारा 136 एल आर एक्ट मे विस्तृत तथ्यात्मक जांच रिपोर्ट प्राप्त हुई शामिल पत्रावली हुई रिपोर्ट तहसीलदार का अध्ययन किया गया। सभी प्रभावित पक्षकारों की तरफ से वकील [illegible] उपस्थित है किसी ने ऐतराज पेश नहीं किया है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Devi
Date: 2025.07.02 12:17:59 IST
Reason: SelfAttested

प्रार्थना पत्र वादी की ओर से साक्ष्य दस्तावेज में नकल जमाबन्दी सम्वत् 2075 से 2078 नकल जमाबन्दी पजिकृत विक्रय पत्र, जमाबन्दी सम्वत 20[illegible] से 2026, जमाबन्दी सम्वत

[illegible] अधिकारी बुहाना
[illegible] झुंझुनूं (राज.)

2031 से 2034, जमाबन्दी सम्वत 2049 से 2052, जमाबन्दी सम्वत 2053 से 2056, जमाबन्दी सम्वत 2057 से 2060, जमाबन्दी सम्वत 2061 से 2064, जमाबन्दी सम्वत 2065 से 2068, मृत्यु प्रमाण पत्र, आधार कार्ड दयानन्द, प्रमाण पत्र ग्राम पंचायत कुहाडवास, मिसल बन्दोबस्त, किश्तवार पेश किए गए।

—::आदेश::—

" न्यायालय वादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित पाता है। अतः वाके ग्राम कुहाडवास स्थित भूमि हाल खसरा नम्बर 391, 398 व 399 किता 3 रकबा 2.21 हैक्टर सम्पूर्ण एंव खसरा नम्बर 394, 395, 401 व 906/398 किता 4 रकबा 4.45 हैक्टर में से 1/6 हिस्सा की खातेदारी में वादीगण के हकपूर्वाधिकारी का नाम **'दयाराम'** के स्थान पर **'दयानन्द'** घोषित कर राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज कर राजस्व रिकॉर्ड दुरूस्त किया जाने का आदेश दिया जाता है। तहसीलदार बुहाना से प्राप्त पत्रांक 668 दिनांक 03.03.2025 तथ्यात्मक मौका रिपोर्ट के आधार पर प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया जाना उचित पाता है। अतः मुताबिक तहसीलदार बुहाना से प्राप्त तथ्यात्मक मौका रिपोर्ट इस निर्णय का अभिन्न अंग रहेगा। तहसीलदार बुहाना को रिकॉर्ड में अमल करने हेतु लिखा जावे। रहन सम्बधित खातेदार को प्राप्त होने वाले ख.न./रकबे/हिस्से के विरूद्ध दर्ज किया जावे। उक्तानुसार प्रार्थना पत्र स्वीकार हो।"

(सुमन देवी II)
उपखण्ड अधिकारी बुहाना
जिला झुन्झुनूं (राज.)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर, बुहाना

निर्णय आज दिनांक 2/6/25 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर, बाद मेरे हस्ताक्षर इस न्यायलय के मुद्राकित सरे इजलास सुनाया गया।

(सुमन देवी II)
उपखण्ड अधिकारी बुहाना
जिला झुन्झुनूं (राज.)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर, बुहाना

Signature Not Verified

Digitally signed by Suman Devi
Date: 2025.07.02 12:17:59 IST
Reason: SelfAttested

मूल वाद में (अंतिम) डिक्री
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)
न्यायालय उप खण्ड अधिकारी, बुहाना जिला झुन्झुनू (राज.)

पीठासीन अधिकारी– सुमन देवी II, आर.ए.एस.

राजस्व वाद सं.– 153/2022 जीसीएमएस नम्बर :– 2022/454

फूला देवी आदि बनाम राज0 सरकार वगै0

प्रार्थना पत्र बाबत– धारा 136 भू राजस्व अधिनियम 1956 व रिकार्ड दुरूस्ति

–:निर्णय:–

वादी की ओर से श्री प्रदीप कुमार सैन एडवोकेट की व शेष प्रतिवादीगण की अनुपस्थिती में इस वाद को सुमन देवी II उपखण्ड अधिकारी, बुहाना के समक्ष अंतिम डिक्री के निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश किया जाता है और डिक्री दी जाती है कि–

" न्यायालय वादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित पाता है। अतः वाके ग्राम कुहाडवास स्थित भूमि हाल खसरा नम्बर 391, 398 व 399 किता 3 रकबा 2.21 हैक्टर सम्पूर्ण एंव खसरा नम्बर 394, 395, 401 व 906/398 किता 4 रकबा 4.45 हैक्टर में से 1/6 हिस्सा की खातेदारी में वादीगण के हकपूर्वाधिकारी का नाम 'दयाराम' के स्थान पर 'दयानन्द' घोषित कर राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज कर राजस्व रिकॉर्ड दुरूस्त किया जाने का आदेश दिया जाता है। तहसीलदार बुहाना से प्राप्त पत्रांक 668 दिनांक 03.03.2025 तथ्यात्मक मौका रिपोर्ट के आधार पर प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया जाना उचित पाता है। अतः मुताबिक तहसीलदार बुहाना से प्राप्त तथ्यात्मक मौका रिपोर्ट इस निर्णय का अभिन्न अंग रहेगा। तहसीलदार बुहाना को रिकॉर्ड में अमल करने हेतु लिखा जावे। रहन सम्बधित खातेदार को प्राप्त होने वाले ख.न./रकबे/हिस्से के विरूद्ध दर्ज किया जावे। उक्तानुसार प्रार्थना पत्र स्वीकार हो। "

खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करेंगे।

यह आज तारीख 2.6.25 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

Signature Not Verified

Digitally signed by Suman Devi
Date: 2025.07.02 12:17:59 IST
Reason: SelfAttested

(सुमन देवी II)
उपखण्ड अधिकारी, बुहाना
जिला झुन्झुनू (राज.) एवं
पदेन सहायक कलक्टर, बुहाना